[1]संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978

(सं0 आ0 111)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 है ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियां या जनजातीय समुदायों के लोगों या समूहों को संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबंध में, जहां तक उस राज्य में निवासी उसके सदस्यों का संबंध है, अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. भूटिया (चुम्बिपा, दोपथाया, डुकपा, कगाते शेरपा, तिब्बितन, ट्रोमोपा, योलमों सहित) ।

2. लेपचा ।

[2][3. लिम्बू ।

4. तमंग ।]

[1] विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 385(अ), तारीख 22 जून, 1978, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1978, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 546 पर प्रकाशित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।